अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 37 - INDIRECT TAXES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	38859,86,00				
			38859,87,00	37046,43,95	-1813,43,05	
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1647,18,96	
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2238,62,00				
			2372,39,00	1771,76,63	-600,62,37	
पूरक	Supplementary	133,77,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				549,56,60	

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	3274428.00			
पू.	S.	1.00	3073965.78	3066303.84	-7661.94
पु.	R.	-200463.22			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2042"	Major Head "2042"				
केंद्रीय माल एवं सेवा कर और एकीकृत माल एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax				
मू.	O.	609858.00	645602.26	637222.77	-8379.49
पु.	R.	35744.26			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing		1700.00	1117.34	-582.66

(I) ₹4972.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹4759.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2037" – "अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट – राज्य शुल्क योजना पर छूट के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में लंबित कानूनी प्रक्रियाओं के कारण निर्यातकों के दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4972.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹4759.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2037" - "Rebate under Other Schemes - Issue of Scrips under Rebate on State Levies Scheme" - due to non-finalisation of claims of exporters owing to legal proceedings pending at various courts.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2037" - savings occurred under the following heads: -

(का) "निवारक और अन्य कार्य" –

(A) "Preventive and Other functions" -

(क) "लॉजिस्टिक्स निदेशालय" – ₹2056.65 लाख की बचत (₹4373.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समुद्री जहाजों से संबंधित एएमसी के प्रभारों का भुगतान न करने और विक्रेताओं से चालान प्राप्त न होने के कारण स्वर्ण संपरिवर्तन प्रभारों का भुगतान न करने के कारण हुई।

(a) "Directorate of Logistics" - saving of ₹2056.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4373.00 lakhs) was due to non-payment of AMC's charges relating to Marine vessels and non-payment of gold conversion charges owing to non-receipt of invoices from the vendors.

(ख) "राजस्व आसूचना निदेशालय" – ₹924.01 लाख की बचत (₹20004.95 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा मुखबिरों को पुरस्कार देने के मामलों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(खा) "राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट – राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट के तहत स्क्रिप जारी करना" – ₹68100.00 लाख की बचत (₹924600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम उपार्जित देनदारियों की वजह से योजना के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए कम निधियां की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना के अंतर्गत छूट – भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹69126.30 लाख की बचत (₹79932.00 लाख स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कई दावेदार फर्म अस्वीकृत प्रविष्टि सूची में होने या कानूनी या अर्ध–न्यायिक कार्यवाही में शामिल होने की वजह से क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदनों को रोके रखने के कारण हुई और इससे लाभ निर्गत करने में बाधा उत्पन्न हुई।

(घा) "भारत से सेवा निर्यात योजना के अंतर्गत छूट – भारत से सेवा निर्यात योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹142706.71 लाख की बचत (₹190100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यातकों द्वारा योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने और न्यायिक/अर्ध–न्यायिक कार्यवाहियों की वजह से विभिन्न चरणों में अटके हुए एसईआईएस आवेदनों की बड़ी संख्या होने के कारण हुई।

(ङ.) "टारगेट प्लस योजना के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन – टारगेट प्लस योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹65280.97 लाख की बचत (₹66091.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंचलिक समिति, जो प्रत्येक दावे का मैन्युअल रूप से मूल्यांकन करती है, द्वारा अनुमोदन में देरी किए जाने की वजह से कम स्क्रिप्स जारी होने के कारण हुई।

(चा) "अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट" –

(b) "Directorate of Revenue Intelligence" - saving of ₹924.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20004.95 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalization of cases of reward to informers.

(B) "Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) - Issue of Scrips under Rebate on State and Central Taxes and Levies"- saving of ₹68100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹924600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards issue of scrips under the scheme owing to less accrued liabilities.

(C) "Rebate under Merchandise Export from India Scheme (MEIS) - Issue of Scrips under Merchandise Export from India Scheme" -saving of ₹69126.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹79932.00 lakhs) was due to withholding of applications at regional offices owing to many claimant firms were on the Denied Entry List or involved in legal or quasi-judicial proceedings, preventing the issuance of benefit.

(D) "Rebate under Service Exports from India Scheme (SEIS) - Issue of Scrips under Service Exports from India Scheme"- saving of ₹142706.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹190100.00 lakhs) was due to a number of SEIS applications being stuck at different stages owing to non-compliance of requirements of the scheme by exporters and judicial/quasi-judicial proceedings.

(E) "Rebate/Incentive under Target Plus Scheme - Issue of Scrips under Target Plus Scheme"- saving of ₹65280.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66091.00 lakhs) was due to less issuance of scrips owing to delay in approval by zonal committee which manually assesses each claim made.

(F) "Rebate under Other Schemes" -

(क) "फोकस उत्पाद योजना और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना के तहत स्क्रिप जारी करना" – ₹26326.56 लाख की बचत (₹27153.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिसूचित फोकस बाजारों में निर्यातित माल की लैंडिंग से संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों की कमी की वजह से दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "फोकस मार्केट स्कीम के तहत स्क्रिप जारी करना"– ₹7831.98 लाख की बचत (₹8090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹6512.46 लाख की बचत (₹6526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "स्टेटस होल्डर्स प्रोत्साहन योजना के तहत स्क्रिप जारी करना" – ₹11927.36 लाख की बचत (₹11941.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत बचतें, दावों की मैन्युअल जांच की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से कम स्क्रिप जारी किए जाने के कारण हुई।

(ङ.) "राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट का बकाया" – ₹5730.30 लाख की बचत (₹6376.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दस्तावेजी प्रमाणों की प्राप्ति न होने, लंबित न्यायिक कार्यवाही और फर्मों के अस्वीकृत प्रवेश सूची में होने की वजह से स्क्रिप जारी न करने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2042" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "निदेशन एवं प्रशासन – राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन)" – ₹739.41 लाख की बचत (₹15245.83 लाख के स्वीकृत

(a) "Issue of Scrips under Focus Product Scheme and Market Linked Focus Product Scheme" - saving of ₹26326.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27153.00 lakhs) was due to non-finalization of claims owing to lack of mandatory documents relating to landing of exported goods in the notified focus markets.

(b) "Issue of Scrips under Focus Market Scheme" - saving of ₹7831.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8090.00 lakhs);

(c) "Issue of Scrips under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojna" - saving of ₹6512.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6526.00 lakhs); and

(d) "Issue of Scrips under Status Holders Incentive Scheme"- saving of ₹11927.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11941.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less issue of scrips owing to non-completion of process of manual scrutiny of claims.

(e) "Arrears of Rebate on State and Central Taxes and Levies" - saving of ₹5730.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6376.00 lakhs) was due to non-receipt of documentary proofs, pending judicial proceedings and non-issuance of scrips owing to firms being in Denied Entry List.

(III) Under Major Head "2042" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Direction and Administration - National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)" - saving of ₹739.41 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा प्रशिक्षण बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

sanctioned provision of ₹15245.83 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalization of training bills.

(खा) "अन्य व्यय – अन्य मदें" – ₹536.84 लाख की बचत (₹2558.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने की वजह से ठेकेदारों को भुगतान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Other Items" - saving of ₹536.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2558.00 lakhs) was due to non-release of payments to contractors owing to non-completion of some projects in time by Central Public Works Department.

(IV) मुख्य शीर्ष "2216" – "अन्य आवास – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" के अंतर्गत ₹582.66 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ परियोजनाओं के पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2216" - "Other Housing- Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹582.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to non-completion of some projects by Central Public Works Department.

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹173805.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2037" – "निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट – निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के तहत स्क्रिप जारी करना" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹173804.57 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹173805.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh, in December, 2024 under Major Head "2037" - "Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) - Issue of Scrips under Remission Duties and Taxes on Exported Products". Actual excess, however, was ₹173804.57 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" –

(A) Major Head "2037" -

(क) "राजस्व–सह–आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य बंदरगाह" – ₹3643.76 लाख का अधिक व्यय (₹80664.61 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने और वेतन के बकाया, मुख्य सिविल और विद्युत कार्यों, कैट–I/II/IIए जहाजों की मरम्मत और रखरखाव, समुद्री गश्ती जहाजों के ईंधन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता

(a) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs-Major Ports" - excess of ₹3643.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80664.61 lakhs) was due to filling up of vacant posts and requirement of additional funds towards arrears of pay, major civil and electric works, repair and maintenance of CAT-I/II/IIA vessels, fuel of marine patrol

होने के कारण हुआ।

vessels, medical reimbursements and other establishment related expenses.

(ख) "निवारक और अन्य कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य बंदरगाह" – ₹6586.85 लाख का अधिक व्यय (₹169493.94 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने और वेतन के बकाया, लंबित यात्रा और पर्यटन बिलों को मंजूर किए जाने, गश्ती जहाजों की मरम्मत और रखरखाव, छोटे सिविल और बिजली कार्यों और डेफिसिट न्यायालय शुल्क के कारण हुआ।

(b) "Preventive and Other functions - Sea Customs-Major Ports" - excess of ₹6586.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹169493.94 lakhs) was due to filling up of vacant posts and arrears of salary, clearance of pending tour and travel bills, repair and maintenance of patrolling vessels, minor civil and electric works and deficit court fee.

(ग) "अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट – वार्षिक वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्क्रिप जारी करना" – ₹19543.60 लाख का अधिक व्यय (₹10793.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अदालती आदेशों के अनुपालन हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(c) "Rebate under Other Schemes - Issue of Scrips under Annual Incremental Export Incentivization Scheme"- excess of ₹19543.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10793.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards compliance of various court orders.

(खा) मुख्य शीर्ष "2042" – "संग्रहण प्रभार – आयुक्तालय" – ₹29028.71 लाख का अधिक व्यय (₹517278.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, पुरस्कारों, किराए के बकाया, डेफिसित न्यायालय शुल्क, उपकरणों के रखरखाव और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2042" - "Collection Charges - Commissionerates" - excess of ₹29028.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹517278.60 lakhs) was due to filling up of vacant posts, requirement of additional funds towards rewards, arrears of rents, deficit court fees, maintenance of equipment and other establishment related expenses.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹60062.37 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹13377.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹60062.37 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹13377.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः–

Savings/excess occurred under the following heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	134265.00			
पू.	S.	13377.00	116422.58	112938.84	-3483.74
पु.	R.	-31219.42			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	50198.00	48260.00	46877.73	-1382.27
पु.	R.	-1938.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	39399.00	17599.82	17360.06	-239.76
पु.	R.	-21799.18			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4047" – "केंद्रीय माल एवं सेवा कर – केन्द्रीय माल एवं सेवा कर कार्यालय" के अंतर्गत ₹105735.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹13377.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹119112.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹21853.32 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) विक्रेताओं द्वारा अधूरे चालान प्रस्तुत करने, राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी पैक्स) परियोजनाओं को अंतिम रूप देने/अनुमोदन में देरी, मशीनरी और उपकरणों, कार्यालय फर्नीचर, मोटर वाहनों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने,

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head "4047" - "Central Goods and Services Tax - CGST offices"- the original provision of ₹105735.00 lakhs was augmented to ₹119112.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹13377.00 lakhs. However, there was a saving of ₹21853.32 lakhs (including supplementary grant) - due to submission of incomplete invoices by vendors, delay in finalisation/approval of National Customs Targeting Centre for Passenger (NCTC Pax) projects,

आईटी से संबंधित उपकरणों की कम खरीद और आईटी से संबंधित परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

non-finalisation of procurement of machinery and equipment, office furniture, motor vehicles, less purchase of IT related equipments and non-finalization of IT related projects.

(III) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Heads "4047" - "Customs" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निवारक एवं अन्य कार्य" – ₹6983.22 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तस्करी रोधी उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Preventive and other functions" - saving of ₹6983.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement of Anti-Smuggling Equipments.

(खा) "सीमा शुल्क कार्यालय" – ₹5866.62 लाख की बचत (₹21530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटी से संबंधित उपकरणों, मोटर वाहनों, कार्यालय फर्नीचर, तस्करी रोधी उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप न देने और यात्री परियोजना के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(B) "Customs Offices" - saving of ₹5866.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21530.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement of IT related equipments, Motor vehicles, office furniture, anti-smuggling equipment and non-finalisation of National Customs Targeting Centre for Passenger project.

(IV) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – सीमा शुल्क और सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹10357.04 लाख की बचत (₹48325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन निर्माण के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्ति में देरी, निर्माण स्थल के आसपास अतिक्रमण हटाने में लगने वाला समय, अग्नि सुरक्षा उपायों के कारण डिजाइन में परिवर्तन और परियोजना के पूरा न होने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Construction of Office Building for Customs & CGST Commissionerate" - saving of ₹10357.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48325.00 lakhs) was due to late permission received from local authorities for construction of building, time taken for removal of encroachment around the construction site, design changes on account of Fire Safety measures and funds surrendered by Central Public Works Department owing to non-completion of project.

(V) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क और जीएसटी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन– सीमा शुल्क और सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए आवासीय भवनों का निर्माण" के अंतर्गत ₹22065.69 लाख की बचत (₹38912.18 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी आवश्यकताओं की वजह से वडाला आवासीय परियोजना के निर्माण में देरी होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and GST Employees - Construction of Residential Buildings for Customs & CGST Commissionerate" - saving of ₹22065.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38912.18 lakhs) was due to delay in construction of Wadala residential project owing to technical requirements.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – भूमि अधिग्रहण – सीमा शुल्क और सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹7037.77 लाख का अधिक व्यय (₹1872.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, लखनऊ के लिए कार्यालय भूमि की खरीद के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4059" - "Office Buildings - Acquisition of Land - Acquisition of Land for construction of Office Building for Customs & CGST Commissionerate" - excess of ₹7037.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1872.00 lakhs) was due to procurement of office land for Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence, Lucknow.